

i-NEXT PAGE II

JAGRAN CITY PAGE III

वर्ष 2014 से लखनऊ यूनिवर्सिटी दे रही

आधार कार्ड को उर्दू जुबान

CONCEPT PIC

LUCKNOW (21 Dec, inext): लखनऊ यूनिवर्सिटी का उर्दू विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को साल 2014 से उर्दू की जुबान बनाता आ रहा है। यूनिवर्सिटी का उर्दू विभाग आधार की आधिकारिक वेबसाइट यूआईडीएआई में उर्दू भाषा का जो भी अपग्रेडेशन होता है उसे करता है। अब जब संसद में आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रस्ताव पास हो गया है, इसके बाद उर्दू विभाग को उम्मीद है कि इसे लेकर जो भी बदलाव इंग्लिश में होगा उसका उर्दू में सशुद्ध अनुवाद करने का काम भी विभाग को ही मिलेगा।

उसके बाद उर्दू विभाग को उम्मीद है कि इसे लेकर जो भी बदलाव इंग्लिश में होगा उसका उर्दू में सशुद्ध अनुवाद करने का काम भी विभाग को ही मिलेगा।



यूआईडीएआई लखनऊ यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग से ट्रांसलैट कराता है पूरी जानकारी

2014 में मिली जिम्मेदारी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर आधिकारिक तौर पर 13 भाषाओं में देश के नागरिकों को अपना विशिष्ट पहचान पत्र बनवाने की सुविधा मिली है। इसी कड़ी में प्राधिकरण में साल 2014 में पहली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के कोऑर्डिनेटर डॉ. अब्बास रजा नय्यर को इसकी जिम्मेदारी दी गई। इसमें

प्राधिकरण ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध इंग्लिश के सभी मैटर और जानकारी उर्दू भाषा में अनुवाद करने की जिम्मेदारी दी। जिसके बाद उर्दू विभाग ने वेबसाइट पर मौजूद सभी जानकारी को उर्दू भाषा में अनुवाद कर वेबसाइट पर इसे रन कराने में मदद की।

उर्दू को दिला रहे पहचान

उर्दू विभाग के कोऑर्डिनेटर प्रो. डॉ. अब्बास रजा नय्यर ने बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी शुरू से उर्दू भाषा के प्रचार और प्रसार में अपनी ओर से पूरा योगदान दे रही है। राजधानी में बहुत से लोग इस भाषा का यूज करते हैं।

यह यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात

उर्दू विभाग के कोऑर्डिनेटर प्रो. डॉ. अब्बास रजा नय्यर ने बताया कि यूआईडीएआई जब भी कोई नई चीज वेबसाइट पर अपलोड करता है, तो उस जानकारी को उर्दू में अनुवाद करने की जिम्मेदारी एल्यू को मिलती है। अब सरकार ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का आदेश दिया है। हमें उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी इस प्रस्ताव को लेकर जो भी जरूरी बदलाव होंगे उसकी जानकारी उर्दू में करने की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी को ही मिलेगी। यह हमारे लिए गर्व की बात है। लखनऊ यूनिवर्सिटी उर्दू भाषा को संजोने और उसके विस्तार का काम निरंतर कर रही है।



THE PIONEER PAGE 4

AMRIT VICHAR PAGE 5

PIONEER PAGE 3

Workshop on prevention of sexual harassment

PNS ■ LUCKNOW

With the permission from District Legal Service Authority in Lucknow, Dean of Faculty of Law, Lucknow University, CP Singh and chairman of Legal Aid Centre Ashish Srivastava, Lucknow University organised a workshop at St Thomas Mission School. The themes were Prevention of Sexual Harassment (PoSH) and cyber awareness.

The purpose of the workshop was to educate students, teachers, and staff about what constitutes sexual harassment and sexual harassment at work, as well as the consequences of both, and how an employer can create a safe working environment for employees, such as by forming an internal complaints committee and the consequences of not doing so.

Bhumika, a member of Legal Aid Centre and a student of LU's Faculty of Law, said the audience about the centre and all of the previous workshops it had successfully conducted, the impact it had, and the internal complain committees it had successfully assisted in forming following the workshops.

Richa Gupta, a member of Legal Aid Centre and student of Faculty of Law, LU, interacted with the students about

fundamental rights and asked them what they knew about them. She described the case of Bhanwari Devi, how she was brutally raped, and how the system, leadership, cops, rule of law, and society as a whole failed her.

Additionally, Vishaka Guidelines were presented, as well as what is sexual assault and what falls under the purview of sexual assault that most people are ignorant of, and were shown to help students comprehend the concept of sexual harassment.

The audience was encouraged to share their thoughts and opinions on what sexual harassment means to them, and she went on to describe what a workplace is and what it entails.

Bhumika emphasised on the importance of redressal and how every workplace should have an internal complaints committee and a local complaints committee to deal with the complaints of aggrieved women, and that every employer, district officer should establish one in their workplace and district.

She highlighted the need of forming ICC since it ensures the law's enforceability, as well as the fact that any employer who fails to do so will be subject to a fine of up to Rs 50,000.

विद्यार्थियों को दी विशाखा गाइड लाइन की जानकारी

अमृत विचार, लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय, विधि संकाय की संस्था विधिक सहायता केंद्र और जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को जानकारीपुरम स्थित सेंट थॉमस मिशन स्कूल में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध) अधिनियम 2013 व उससे संबंधित साइबर जागरूकता के विषय में कार्यशाला आयोजित की गई।

विधि संकाय के प्रो. सीपी सिंह एवं विधिक सहायता केंद्र के चेयरपर्सन डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिचा गुप्ता ने उपस्थित

महिलाएं बन सकती हैं एक अच्छी उद्यमी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एण्ड एडवांस टेक्नोलॉजी और ओएनजीसी सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज में मिशन शक्ति के अन्तर्गत कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि प्रो मधुरिमा लाल रहीं। संस्थान के निदेशक प्रो. मो. सिराजउद्दीन ने कहा कि महिलाएं एक अच्छी उद्यमी बन सकती हैं।

आयोजन

- विधिक सहायता केंद्र के बारे में बताया गया
- कार्यशाला में कई जानकारी दी गई

छात्र छात्राओं को विधिक सहायता केंद्र के बारे में जानकारी दी। साथ ही विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 केस का भी उल्लेख किया यह भी बताया कि किस प्रकार से केस सम्बन्धित अधिनियम 2013 में लागू किया गया। कार्यशाला में विधिक सहायता केंद्र के वरिष्ठ सदस्य पुनीत देशवाल व अन्य सदस्य आशीष कुमार, सुमित सिंह, हर्ष आनंद शुक्ला उपस्थित रहे।

जासं, लखनऊ : राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों को टैबलेट/स्मार्टफोन देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में लखनऊ विश्वविद्यालय (लवि) परिसर में अध्ययनरत 6,276 विद्यार्थियों को टैबलेट एवं स्मार्टफोन दिया जाएगा। यह सभी स्नातक व परास्नातक अंतिम वर्ष के हैं। समारोह में शामिल होने के लिए इन विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय का एप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। उसी पर 23 दिसंबर को निर्देश दिए जाएंगे।

लवि के नोडल अधिकारी प्रो. अनिल मिश्रा ने बताया कि प्रथम चरण में स्नातक व परास्नातक के विभिन्न विषयों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसके लिए

100 से ज्यादा शिक्षकों की लगाई जाएगी इवूटी

विश्वविद्यालय के 6,276 विद्यार्थियों को इकाना स्टैडियम तक ले जाने के लिए 100 से ज्यादा बसें लगाई जाएंगी। 100 से अधिक शिक्षकों की इवूटी भी लगाई जाएगी। कुलसचिव डा. विनोद कुमार सिंह ने मंथन हाल में बैठक कर इसकी रणनीति पर चर्चा की। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से शिक्षकों की 30 से 40 टीमें बनाई जाएंगी।

पहले ही विश्वविद्यालय परिसर के उन सभी विद्यार्थियों का डेटा जमा कर दिया गया है, जिन्होंने अपनी सेमेस्टर फीस का भुगतान किया है। ऐसे 6,276 विद्यार्थी हैं।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध राजधानी के कालेजों से 83,010 छात्र-छात्राओं का डेटा भेजा गया है। इसलिए विद्यार्थियों से गूगल फॉर्म भरवा कर स्वीकृति मांगी गई।

इन पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी पाएंगे लाभ: बीए, बीए आनर्स, बीबीए, बीकाम, बीकाम आनर्स, बीएससी बायोलाजी ग्रुप, बीएससी मैथ्स ग्रुप, बीवोक रेनेवेबल एनर्जी, बीसीए, एलएलबी पांचवा सेमेस्टर, एमबीए पांच वर्षीय नवां सेमेस्टर, बीएफए, बीवीए और इंजीनियरिंग सातवां सेमेस्टर, एलएलबी पांच वर्षीय नवां सेमेस्टर, बीएड, एमपीएड, एलएलएम, एमए, एमकाम, एमपीएड, एमएससी, मास्टर्स, एमबीए, एमवीए तीसरे और शास्त्री पांचवां सेमेस्टर।

HINDUSTAN PAGE 6

छात्राओं को दी विधिक सहायता की जानकारी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय विधि संकाय की संस्था विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से जागरूकता कार्यक्रम हुआ। सेंट थॉमस मिशन में मंगलवार को हुए कार्यक्रम का विषय कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न और उससे सम्बंधित साइबर जागरूकता रहा। इस विषय पर विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। कार्यशाला में रिचा गुप्ता ने छात्र छात्राओं को विधिक सहायता केंद्र के बारे में जानकारी दी और यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की प्रस्तावना का संक्षिप्त विवरण छात्र छात्राओं को बताया।

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. नय्यर ने दी आधार को उर्दू जुबान

● कटौत को अंग्रेजी से उर्दू में करने के लिए प्रो. नय्यर को यूआईडीएआई से मिल चुका है प्रमाणपत्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का बिल लोकसभा से पारित होने के पहले से मौजूद समय में यह जरूरी डॉक्यूमेंट में शामिल हो गया है। बच्चे से लेकर बूढ़े हर उम्र के लिए यह यूनिफ आइडेंटिटी नंबर कई ऑफिशियल कार्यों में अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आधार की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इससे जुड़ी कोई दिक्कत नागरिकों के सामने न आये और वे आसानी से समझ सकें, इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रस्ताव पर आधार को अंग्रेजी से उर्दू में जुबान लखनऊ

विश्वविद्यालय ने दी है। आधार कार्ड की जानकारी आमतीर पर अंग्रेजी भाषा में ही होती है। लेकिन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में एक अपग्रेड किया है। जिसके चलते आप अब अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अपना आधार जनेट कर सकते हैं। आधार कार्ड अब पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, उड़िया और कन्नड़ में उपलब्ध होंगे। आधार से जुड़ी जानकारी को अंग्रेजी से उर्दू में उपलब्ध कराने का कार्य लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो

अब्बास रजा नय्यर 2014 से कर रहे हैं। इस बारे में प्रो नय्यर बताते हैं कि जब भी आधार से जुड़ा कोई अपग्रेडेशन होता है तो प्राधिकरण की तरफसे उन्हें पत्र आता है। जिसके बाद वह पाठ्य भाग का अंग्रेजी से उर्दू में कटौत परिवर्तित कर भेज देते हैं। जिसके बाद प्राधिकरण साफ्टवेयर के जरिये वेबसाइट पर अपग्रेड करता है। आधार को उर्दू से जोड़ने के बारे में प्रो नय्यर का मानना है कि वेबसाइट पर उर्दू के जानकारी व शीकीन कंटेंट को तलाश उर्दू में सर्व करना व पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे में आधार की वेबसाइट पर उर्दू से जुड़े सभी कंटेंट का उन्होंने अनुवाद किया है। जिसके एवज में उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से प्रमाणपत्र भी मिला है। उन्हें उम्मीद है कि जब संसद में आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रस्ताव पास हो गया है तो इसके बाद जो भी बदलाव अंग्रेजी में होगा उसका उर्दू में सशुद्ध अनुवाद करने का काम भी विभाग को मिलेगा।